कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ

पत्रांक: 1893 /पं0/यो0लि0/14thFC-SFC/2020–21 दिनांक 26.8.2020

सचिव/प्रधान,
ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर खुर्द,
द्वारा–सहायक विकास अधिकारी (पं0)
चिनहट, लखनऊ।

ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर खुर्द में पंचायत भवन निर्माण कार्य का प्राक्कलन अभियन्ता, जिला पंचायत लखनऊ से तकनीकी स्वीकृति दिनांक 19.08.2020 के पश्चात् वर्ष 2020–21 के धनराशि रू0 1746000.00 की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था।

उक्त क्रम में जिलाधिकारी महोदय लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति इस निर्देश के साथ आपको प्रदान की जा रही है कि प्रमुख सचिव, पंचायती राज उ0प्र0 महोदय के 14 वें वित्त आयोग से सम्बन्धित पत्र संख्या–234/33–3–2016–2/2016 दिनांक 18.02.2016 तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–1639/33–3–2015–03/2015 दिनांक 19.06.2015 में दिये गये मार्ग निर्देशों के अनुसार उक्त कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्वीकृत कार्य से इतर इस धनराशि का उपयोग किया जाना गबन की श्रेणी में रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का भी कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. स्वीकृत कार्य केन्द्रीय वित्त आयोग/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के कम में किया जाएगा तथा आई0डी0 जेनरेट कराते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी।
2. स्वीकृत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कराते समय व कार्य समाप्त होने के पश्चात् का फोटो लिया जाएगा।
3. स्वीकृत कार्य पर धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दरो के अनुसासर ही व्यय की जाएगी, जिन मदों का लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची में प्राविधान नहीं है उन्हें वर्तमान बाज़ार भाव की कम से कम दरो पर व्यय किया जाएगा।
4. स्वीकृत कार्य पर सामग्री क्रय शासनादेशों में दिए गए प्रतिबन्धों के अनुसार किया जाएगा।
5. उक्त कार्य पर स्वीकृत धनराशि से अधिक की धनराशि व्यय नहीं की जाएगी तथा खाते से बिना कार्य स्वीकृति के कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी।
6. स्वीकृत परियोजना पर ही धनराशि आहरित की जाएगी।
7. भू–राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर चयनित स्थल पर शौचालय निर्माण की सहमति प्राप्त कर ली जाय।
8. सामुदायिक शौचालयों के परिचालन, अनुरक्षण एवं साफ–सफाई की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी।
9. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज के पत्र संख्या–1639/33–3–2015–03/2015 दिनांक 19.06.2015 एवं पत्र संख्या–1838/33–3–2015–03/2015 दिनांक 31.07.2015 का अनुपालन करते हुए ही धनराशि आहरित एवं व्यय की जाए।
10. धनराशि आहरण के पश्चात् आगामी 5 दिवस के अन्दर आहरित धनराशि एवं कराए गए कार्य की एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्ण की जाएगी।
11. धनराशि आहरण एवं व्यय तथा सामग्री क्रय में अन्य सभी वित्तीय नियमों का पालन क्रिया जाएगा।
12. प्रत्येक कार्य का बोर्ड लगाकर प्रदर्शन किया जाएगा एवं निर्माण वर्ष, योजना का नाम, स्वीकृत धनराशि तथा व्यय धनराशि का अवश्य अंकन किया जाएगा।

संलग्नक–अनुमोदित कार्य योजना।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

अभियन्ता,
जिला पंचायत, लखनऊ।

सेवा में,

सचिव ग्राम पंचायत/ ग्राम विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत– सिकन्दरपुर खुर्द
विकास खण्ड– चिनहट,

पत्रांक: 707 /नि0अनु0/ जि0पं0/2020–21 दिनांक: 19 अगस्त, 2020

विषयः तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण अवर अभियन्ता एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क0सं0	विकास खण्ड	कार्य का नाम	कार्य की लम्बाई (मी0)/मात्रा	आगणित लागत रू0 (लाख में)
1	चिनहट	ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर खुर्द में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य।	01	17.46

उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है :–

1. उपरोक्त कार्य में जी0एस0टी0/अन्य टैक्स की कटौती नियमानुसार की जायें।
2. कार्य की गुणवत्ता की समस्त उत्तदायित्व आपकी होगी।
3. कार्य को शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित गाईड–लाईन/ आदेश के अनुरूप कराया जायें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अभियन्ता
जिला पंचायत, लखनऊ।

अभियन्ता
जिला पंचायत, लखनऊ

Scanned with CamScanner